संख्या–सू0अ भा0स0 191/43–2–2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉक 08 नवम्बर, 2010

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से संबद्ध सूचना मांगी गई हो।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कई बार लोक प्राधिकरणों के पास ऐसी सूचना के लिये आवेदन प्राप्त होते हैं, जो उनसे संबंधित नहीं होती। कभी कभी ऐसी सूचना मांगी जाती है,जिसका कुछ ही हिस्सा उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होता है या कोई भी हिस्सा उसके पास उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में सूचना का कुछ हिस्सा या पूरी सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण या अन्य कई लोक प्राधिकरणों से संबंधित होती है।

2– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1)में यह व्यवस्था की गयी है कि सूचना प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देगा। धारा 6 (3) में यह व्यवस्था है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण को ऐसी सूचना के लिये आवेदन प्राप्त होता है, जो दूसरे लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो वह लोक प्राधिकरण जिसे आवेदन दिया गया है, आवेदन को संबंधित लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा। धारा 6 की उप धारा (1) और उप धारा (3) के प्राविधानों के ध्यानपूर्वक पठन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि सूचना मांगने वाला व्यक्ति अपना आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी को संबोधित करे। फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें सामान्य समझ वाला व्यक्ति यह माने कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी, जिसको कि उसने आवेदन किया है, जब कि वास्तव में यह सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास होती है।

Seen/अनुभाग-3 3– ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाली कुछ स्थितियों और उन स्थितियों में लोक प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित कार्यवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(अनीता सिंह)
11-11-2010
प्रशासनिक सुधार अनुभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(i) कोई व्यक्ति किसी ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन देता है, जो किसी दूसरे लोक प्राधिकरण से संबंधित है। ऐसे मामले में, जन सूचना अधिकारी को आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देना चाहिये और इसकी सूचना आवेदक को भी दे देनी चाहिये। यदि लोक प्राधिकरण का

——2——